कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 302/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 22.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 22.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना-फूलपुरः दिनांक 18.08.2025 को मुड़ियार से चितरावल रोड पर डाकघर के पोस्ट मास्टर के साथ हुए लूट की घटना में शामिल 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अबतक कुल 03 अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक- 18-08-2025 को वादी **दयाशंकर यादव पुत्र स्व0 रामप्रसाद यादव(पोस्ट मास्टर), सा0 डुबकी, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़** द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि आज **समय लगभग 03:45 बजे** जब मैं **डाकघर मुडियार** से साईकिल से अपने घर ग्राम डुबकी जा रहा था कि **मुडियार से चितरावल रोड पर** जैसे ही बाग के बीचों -बीच पहुँचा ही था कि एक अपाचे मोटरसाइकिल जिस पर तीन व्यक्ति बैठे थे, आये और मेरी साइकिल पर टंगे मेरे बैग को झपट्टा मारकर लेकर लाहीडीह की तरफ भाग गये। मेरे बैग में डाकघर मुडियार का **सरकारी मोबाइल सैमसंग कंपनी का, एक प्राईवेट मोबाइल (आइटेल कम्पनी) की-पैड, एक सरकारी डिवाइस व लगभग 8000 रु0 नगद (आठ हजार) तथा डाकघर के कुछ कागजात** आदि था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 398/25 धारा 304(2) बीएनएस बनाम मोटरसाइकिल सवार 03 व्यक्ति नाम, पता अज्ञात** के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में बरामदगी एवं साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा **304(2) बीएनएस का लोप करते हुए धारा 309(4)/317(2)/61(2) बीएनएस** की बढोत्तरी किया गया तथा अभियुक्तों

1- सलीम पुत्र हबीब, निवासी रौजाअली अस्कान (पठान टोला), थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष।

2- अंश मौर्या पुत्र शिवकुमार मौर्या, निवासी पुरानी मिर्चा मण्डी कस्बा फूलपुर, थाना फूलपुर, आजमगढ़, उम्र 22 वर्ष।

3. ऋषभ कश्यप पुत्र राजेश कश्यप, निवासी वार्ड नं0 13 मोहल्ला मीर हसनपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

4- अरफात पुत्र मो0 अहमद उर्फ सोनू खान, निवासी ग्राम मुडियार, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 21.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में से सम्बन्धित अभियुक्त 1. **सलीम पुत्र हबीब निवासी रौजाअली अस्कान (पठान टोला) थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, 2.अंश मौर्या पुत्र शिवकुमार मौर्या निवासी पुरानी मिर्चा मण्डी कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया।**

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक- 22.08.2025 को व0उ0नि0 गंगा राम विन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अरफात पुत्र मो0 अहमद उर्फ सोनू खान निवासी ग्राम मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष
को लूट के 530 रूपयें के साथ सदरपुर बरौली से दुर्वाषा जाने वाले रोड़ के पास स्थित हाई टेशन विद्युत पोल के पास रोड पर से समय करीब 01-15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

अरफात पुत्र मो0 अहमद उर्फ सोनू खान निवासी ग्राम मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

1-लूट का एक 530/- रुपया नगद

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0- 398/2025 धारा 309(4)/317(2)/61(2) बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- उ0नि0 गंगा राम बिन्द थाना फूलपुर,आजमगढ़।
2- का0 राजेश यादव थाना फूलपुर,आजमगढ़।
3- का0 अश्वनीय यादव थाना फूलपुर,आजमगढ़।

02.थाना पवईः किशोरी के साथ दुष्कर्म के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 26.07.25 को वादी थाना शाहगंज जिला जौनपुर ने थाना पवई पर लिखित तहरीर दी कि प्रार्थी की पुत्री अपने नानी के घर रहती थी, वादी की पुत्री गांव में पड़ोस में शादी में गयी थी कि विपक्षीगण गेना पत्नी अनिल, अमन पुत्र अनिल ग्राम कोर्राघाटमपुर थाना अहरौला आजमगढ़ तथा अवनीश पुत्र जगपति ग्राम बागबहार थाना पवई आजमगढ़ द्वारा प्रार्थी की पुत्री को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाना जब प्रार्थी विपक्षियों से उक्त घटना के बारे में पूछा तो प्रार्थी को गाली गुप्ता देना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बंध में थाना पवई पर मु0अ0सं0 208/25 धारा 137(2),87, 352, 351(3), 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत है। विवेचना के क्रम में पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस व 183 बीएनएसएस व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

बरामदगी/गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 22.08.25 को उ0नि0 उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अमन पुत्र अनिल ग्राम कोर्राघाटमपुर थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को महुआ मोड़ पुलिया के पास से समय करीब 13.05 बजे बजाफ्ता जुर्म धारा 64/137(2)/87 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-अमन पुत्र अनिल ग्राम कोर्राघाटमपुर थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 208/25 धारा 137(2),87, 352, 351(3), 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना पवई आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1.उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्रा मय हमराह थाना अहरौला आजमगढ़।

03.थाना- कोतवालीः शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास –

अवगत कराना है कि दिनांक 20.8.25 को वादिनी थाना मेहनगर आजमगढ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी सागर सोनकर पुत्र सुरेन्द्र सोनकर निवासी मोहल्ला कुण्डीगढ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 21 वर्ष द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 396/25 धारा 69/89/115(2)/352/351(3) बीएनएस दर्ज है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 21.8.25 को उपनिरीक्षक राज नारायण पाण्डेय चौकी इंचार्ज बदरका मय हमराह का द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सागर सोनकर पुत्र सुरेन्द्र सोनकर निवासी मोहल्ला कुण्डीगढ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 21 वर्ष को समय 22.15 बजे कटरा तिराहे से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरणः-

1-सागर सोनकर पुत्र सुरेन्द्र सोनकर निवासी मोहल्ला कुण्डीगढ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 396/25 धारा 69/89/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उपनिरीक्षक राज नारायण पाण्डेय चौकी इंचार्ज बदरका मय हमराह का. अप्पू कुमार वर्मा व का. राजन कुमार थाना कोतवाली आजमगढ़

04.थाना- जीयनपुरः साइबर फ्राड के 33,530 रूपयें आवेदक के खातें में कराया गया वापस।

पूर्व की घटना/इतिहास–

आवेदक आलोक तिवारी पुत्र रामाकान्त तिवारी निवासी ग्राम कुरहस पोस्ट कोठिया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने फोनपे मो0नं0 9616877134 से दिनांक 19.10.2023 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा साइबर फ्राड करके अपने क्यूआर के माध्यम से कुल 36530/- रूपया ट्रान्जेक्शन करा लिया गया था। जिससे आवेदक द्वारा साइबर पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करायी गयी थी। शिकायत की जाँच उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय व क0आ0 शहादत अंसारी द्वारा किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय व क0आ0 शहादत अंसारी द्वारा आवेदक आलोक तिवारी पुत्र रामाकान्त तिवारी निवासी ग्राम कुरहस पोस्ट कोठिया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ का दिनांक- 19.10.2023 को कुल 36530/- रूपया का फ्राड हो गया था साइबर कम्पलैन के माध्यम से होल्ड हुए रूपया 33530/- को दिनांक 22.08.2025 को आवेदक के खाते में वापस/ बरामद कराया गया।

बरामदगी का विवरणः-

1-आवेदक का होल्ड रूपया 33530/- को आवेदक के खाते में वापस/ बरामद कराया गया।

बरामद करने वाली टीम -

1.जितेन्द्र बहादुर सिंह थानाध्यक्ष जीयनपुर आजमगढ़

2. उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2.क0आ0 शहादत अंसारी थाना जीयनपुर आजमगढ़

05. थाना मुबारकपुरः चोरी के सामान के साथ 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 16.08.2025 को वादी शुभम सिंह पुत्र राम विभो सिंह मो0 फराश टोला कोतवाली थाना जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 11.05.2025 को शाम 5 बजे के लगभग मीरा सोनकर पत्नी गुड्डु सोनकर निवासी ग्राम रामचक थाना रुद्रपुर जनपद देवरीया तथा दीपक सोनकर पुत्र बिन्देश्वरी सोनकर निवासी कस्बा थाना- घोसी जनपद- मऊ मेरी दुकान दीपक ज्वैलर्स पर गहना देखने आये मेरे द्वारा एक जोड़ा झाला देखने के लिए दिया गया झाला देखने लगे, मेरा ध्यान बटने पर दिया गया झाला लेकर चले गये जिसके सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 367/2025 धारा 303(2) BNS बनाम 1.मीरा सोनकर पत्नी गुड्डु सोनकर निवासी ग्राम रामचक थाना रुद्रपुर जनपद देवरीया तथा 2.दीपक सोनकर पुत्र बिन्देश्वरी सोनकर निवासी कस्बा थाना- घोसी जनपद- मऊ के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री अखिलेश चौबे थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 21.08.2025 उ0नि0 अखिलेश चौबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता मीरा सोनकर पत्नी गुड्डू सोनकर निवासी ग्राम रामचक थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया को बडहलगंज बाजार बाईपास स्थित भगौती लाज के पिछे टिकोरी यादव पुत्र महादेव यादव के मकान से समय 14.15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्ता को मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ताः-

1-मीरा सोनकर पत्नी गुड्डू सोनकर निवासी ग्राम रामचक थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरणः-

1-एक जोडी झाला पीली धातु का

पंजीकृत अभियोगः-

1-मु0अ0सं0 367/2025 धारा 303(2),317(2) BNS थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 409/2020 धारा 8/20 NDPS ACT थाना – जीयनपुर, जनपद – आजमगढ़

2-मु0अ0सं0 74/2025 धारा 303(2),317(2) BNS थाना मुधबन, जनपद मऊ

3-मु0अ0सं0 70/2025 धारा 305,317(2) BNS थाना अलीगंज, जनपद अम्बेडकरनगर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1-उ0नि0 श्री अखिलेश चौबे मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

06.थाना- मेंहनगरः अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 20.08.25 को वादीनी थाना मेंहनगर की तहरीरी सूचना कि दिनाक 17.8.25 को समय करीव 12.30 दिन मे विपक्षी धर्मवीर उर्फ गब्बर कुमार पुत्र स्व0 प्रकाश राम ने वादिनी की पुत्री उम्र लगभग 16 वर्ष है जिसे शादी का झासा देकर घर से कही बहला फुसलाकर भगा ले गया है के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 409/25 धारा 137(2)/87/351(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण

दिनांक 20.08.25 को उ0नि0 रामगोपाल त्यागी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त धर्मवीर उर्फ गब्बर कुमार पुत्र स्व0 प्रकाश राम सा0 गोपालपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को अक्षैबर नहर पुलिया के पास थाना मेंहनगर से समय 12.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-धर्मवीर उर्फ गब्बर कुमार पुत्र स्व0 प्रकाश राम सा0 गोपालपुर थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 409/25 धारा 137(2)/87/351(2) BNS थाना मेंहनगर, आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- उ0नि0 रामगोपाल त्यागी मय हमराह का0 अतुल शुक्ला थाना मेंहनगर, आजमगढ़।

07.थाना- महराजगंजः किशोरी के साथ दुष्कर्म के अभियोग में वांछित एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में !

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 18.07.2025 को वादिनी थाना महाराजगंज जिला आजमगढ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी की पुत्री उम्र 17 वर्ष को एक बाल अपचारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमढ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 202/25 धारा 87/137(2) बीएनएस पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 रजत सिंह द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान पीड़िता की बरामदगी बयान 180 बीएनएसएस व 183 बीएनएसएस व मेडिकल परीक्षण व शैक्षिक प्रपत्रों के अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 137(2) बीएनएस का लोप किया गया तथा धारा 70(1)/351(3) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए बाल अपचारियों का नाम प्रकाश मे आया जिनके विरुद्ध अन्तर्गत धारा 87/70(1)/351(3) बीएनएस में विवेचना प्रचलित है।

पुलिस अभिरक्षा का विवरण-

दिनांक 22.08.2025 को प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य के नेतृत्व में उ0नि0 रजत सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाछिंत बाल अपचारी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ को करमहाडिंगुरपुर से बेकारु चौक वाले रास्ते पर R.R पब्लिक स्कूल पास से समय 07.15 बजे दिन में पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 22.08.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक **को 10 वर्ष के कठोर कारवास व 01 लाख 60 हजार-01 लाख 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना तरवां: गैर इरादतन हत्या के 02 **आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारवास व 01 लाख 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 02.05.2012 को वादी प्रमोद यादव पुत्र रामबृक्ष यादव निवासी रामपुर हरदसई थाना तरवा जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 02.05.2012 को अभियुक्तः **1. योगेन्द्र कुमार यादव पुत्र सीताराम यादव 2. रविन्द्र यादव पुत्र सीताराम यादव निवासीगण रामपुर हरदसई थाना तरवा जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी पक्ष के लोगो को लाठी डण्डे से मार कर घायलकर देना जिससे राजनाथ पुत्र कुवर यादव के सर की हडडी टूट जाना और ईलाज के दौरान मृत्य हो जाना।**

➡ अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना तरवा पर मु0अ0सं0- 197/2012 धारा-304,34,308,325,323, 427, 504,506 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 12 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 22.08.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/FTC-2 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. योगेन्द्र कुमार यादव पुत्र सीताराम यादव 2. रविन्द्र यादव पुत्र सीताराम यादव निवासीगण रामपुर हरदसई थाना तरवा जनपद आजमगढ़ **को दोषसिद्ध पाते हुए को प्रत्येक को 10 वर्ष के कठोर कारवास व 01 लाख 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।